



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



शाखा: जबलपुर सिटी जबलपुर (म.प्र.)

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 15 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति		
(1) से. वर्मा डेयरी Proprietor : श्री विवेक वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा पता:- करोंदा नाला के नजदीक, परियट, महाराजपुर, जबलपुर (म.प्र.) - 482002		उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता
(2) (अ) श्री विवेक वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा पता: 582, जय प्रकाश नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) - 482004		
(3) (ब) श्री विनय वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा पता: 582, जय प्रकाश नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) - 482004		
(4) (स) श्री समर्थ वर्मा पिता स्व श्री विकास वर्मा (विधिक उत्तराधिकारी), श्री विवेक वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा (विधिक पालक) पता: 582, जय प्रकाश नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) - 482004		
(5) 1. श्री विनय वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा पता: 582, जय प्रकाश नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) - 482004 2. श्री समर्थ वर्मा पिता स्व श्री विकास वर्मा (विधिक उत्तराधिकारी), श्री विवेक वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा (विधिक पालक) पता: 582, जय प्रकाश नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) - 482004		(जमानतदार)

विषय: ई-नीलामी विक्रय नोटिस-खाता क्र -3660188319, 3711883077, 3830862037, 5124177198, 5124085581, 5417400987

जबकि आप उपरिनिर्दिष्ट ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 30/05/2024 तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 07/08/2024 की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्थावर संपत्ति का विक्रय नीलामी के माध्यम से दिनांक 30/06/2026 (दोपहर 12.30 से अपराह्न 5 बजे) को किया जाना प्रस्तावित है। नीलामी सूचना का प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों में किया जाएगा।

एतद्वारा आपको 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि आप बकाया राशि के साथ सभी व्यय प्रभार तथा लागत का भुगतान कर प्रतिभूति का मोचन कर लें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

स्थावर संपत्ति का विवरण: ऋणी / शाखा का नाम	संपत्तियों का विवरण	देय बकाया राशि
से. वर्मा डेयरी Proprietor : श्री विवेक वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) पता:- करोंदा नाला के नजदीक, परियट, महाराजपुर, जबलपुर (म.प्र.) - 482002 श्री विवेक वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) पता: 582, जय प्रकाश नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) - 482004 श्री विनय वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) पता: 582, जय प्रकाश नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) - 482004 श्री समर्थ वर्मा पिता स्व श्री विकास वर्मा (विधिक उत्तराधिकारी), श्री विवेक वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा (विधिक पालक) (उधारकर्ता / संपत्ति बंधककर्ता) पता: 582, जय प्रकाश नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) - 482004 श्री विनय वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा (जमानतदार) पता: 582, जय प्रकाश नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) - 482004 श्री समर्थ वर्मा पिता स्व श्री विकास वर्मा (विधिक उत्तराधिकारी), श्री विवेक वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा (विधिक पालक) (जमानतदार) पता: 582, जय प्रकाश नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) - 482004 संबन्धित शाखा: जबलपुर सिटी	साम्य बंधन भूमि एवं भवन: संपत्ति - मौजा खैरी स्थित खसरा नंबर 110 का रकबा 0.430 हेक्टे. खसरा नंबर 109/1 का रकबा 0.430 हेक्टे. एवं खसरा नंबर 109/2 का रकबा 0.120 हेक्टे. इस प्रकार कुल रकबा 0.980 हेक्टे. (105486.42 वर्गफुट याने 9800 वर्गमीटर) में से रकबा 40000 वर्गफुट (3717.47 वर्गमीटर) व्यावसायिक डायवर्टेड भूमि सहित जिसका कि प.ह.नं. 61/17, न. बं. 570, जो कि रा. नि. मं. महाराजपुर, छोटी खैरी, नया वार्ड नंबर 75, तह. पनागर, जिला जबलपुर म. प्र. स्थित है। कुल एरिया : 0.980 हेक्टे. (105486.42 वर्गफुट याने 9800 वर्गमीटर) भू-स्वामी / बंधककर्ता: 1- श्री विवेक वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा 2- श्री विनय वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा 3- श्री समर्थ वर्मा पिता स्व श्री विकास वर्मा (विधिक उत्तराधिकारी), श्री विवेक वर्मा पिता श्री किशन लाल वर्मा (विधिक पालक) चतुःसीमा : उत्तर - बनारसी दास वगैरह की भूमि व कच्चा रास्ता, दक्षिण- रवि पटेल की भूमि, पूर्व- रवि पटेल की भूमि, पश्चिम -शिवचरण की भूमि, प्रलक्षित कब्जा	रु. 80,97,488 + भविष्य व्याज + विधिक व्यय

स्थान: जबलपुर (म.प्र.)

तिथि: 06/06/2026



प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया